

आदेशानुसार

रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर (राज.)

24/12/21

यह पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर से श्रीमान जिला कलक्टर (म.अ.) के आदेशांक
एफ-9/14/7/5/ म.अ./2021/ 15032-33 दिनांक 07-12-2021
के द्वारा स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई है जो नये नम्बर पर दर्ज हो।
वकुलाय/पदाकारानु उपस्थित/पत्रावली वास्तो.....
दिनांक 10/2/22 को पेश हो।

रीडर
उपलब्ध अधिकारी
जोधपुर (वसिण)

10/2/22 पत्रावली पेश बीठासीन अधिकारी
अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर
राज कार्या में व्यस्त है/.....
अतः पत्रावली दिनांक 22/3/22
को पेश हो।

22/3/22

पत्रावली पेश बीठासीन अधिकारी
अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर
राज कार्या में व्यस्त है/.....
अतः पत्रावली दिनांक 11/5/22
को पेश हो।

सुपाराम
सुपाराम

28/4/22 पत्रावली पेश हुई। वादी
अधि. उप.। वादी स्वयं उप.। प्रतिवादी
सुपाराम उप. उपस्थित। पट-यान करी
अधि. जी डार्जुन चौधरी उप.।

फ. नं. उ. 230-3-10-5,00,000 प्रपत्र

सुपाराम
सुपाराम

मुकदमा

नं.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
में जारी हुएतारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादी ने प्रार्थना-पत्र वाकत् पत्रावली आज ही तलब करने का पेश किया। वादी स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र अर्हगत आदेश 23 नियम 02 C.P.C वास्तु वाद जरिये विद्वे खारीज करने का पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने उपरोक्त वाद वाकत् खातेदारी स्थान निपेक्षा का प्रतिवादी गण के विरुद्ध पेश किया गया। जिसमें प्रार्थना-पत्र अर्हगत आदेश 23 नियम 02 CPC का वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवाहवत् शुमि वाकत् दम पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। जिसमें उपरोक्त वाद वादी आगे नहीं चलाना चाहता है। उक्त वाद जरिये विद्वे प्रार्थना-पत्र के खारीज किया जाता है। पत्रावली फेरल शुमार होकर दाखिल रक्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी :
छोकपुर (वकिन्)